"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021—श्रावण 8, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 23 जून 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, कौशल विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, पंचायत का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. द्वारा संचालक, पंचायत का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अति. प्रभार आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, रायपुर, संचालक, पंचायत केवल संचालक, पंचायत के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2021

क्रमांक एफ 7-01/2021/32.—विभागीय समसंख्यक सूचना दिनांक 11-02-2021 छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत भानुप्रतापपुर विकास योजना, 2031 का अनुमोदन किया गया था. उक्त सूचना के पैरा-2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

2. भानुप्रतापपुर विकास योजना, 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. संभागीय आयुक्त, जिला-बस्तर छ.ग.
2. कलेक्टर, जिला-कांकेर, छ.ग.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कांकेर (छ.ग.)
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भानुप्रतापपुर, कांकेर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 मार्च 2021

क्रमांक एफ 7-01/2021/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में भानुप्रतापपुर विकास योजना, 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-03-2021 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. तिर्की, उप-सचिव.

Nava Raipur, Atal Nagar, the 26th March 2021

No. F 7-01/2021/32.—Departmental Majority Notice dated 11-02-2021 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 the State Government hereby accord approval to the Bhanupratappur Development Plan, 2031 submitted by Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam, Bhanupratappur Development Plan , 2031 was approved. Para-2 of the above information is amended as follows :—

2. The copy of the approved Bhanupratappur Development Plan, 2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Divisional Commissioner, District Bastar Chhattisgarh
2. Collector, Kanker (C.G.)
3. Assistant Director, Town & Country Planning, Regional Office Kanker (C.G.)
4. Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat, Bhanupratappur (C.G.)

By order in the name of Governor of Chhattisgarh,
C. TIRKEY, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 जून 2021

प्ररूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3727/भू-अर्जन/2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	पांगरी, प.ह.नं.-28/ कृषकों की संख्या 23	0.4447 हेक्टे.	छ.ग. रोड एण्ड इन्फ्रा डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लोहारा-रेंगाडबरी-जुनापानी - अं. चौकी मार्ग चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 15-07-2021 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, पांगरी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	छ.ग. रोड एण्ड इन्फ्रा डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लोहारा-रेंगाडबरी-जुनापानी-अं. चौकी मार्ग चौड़ीकरण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	09
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	-
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी .
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जून 2021

प्ररूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3959/भू–अर्जन/2021.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	मानपुर	सरोली, प.ह.नं.–23/ कृषकों की संख्या 37	0.993 हेक्टे.	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 06–07–2021 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, सरोली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	37
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	–
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी .
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जून 2021

प्ररूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3961/भू–अर्जन/2021.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	मानपुर	संबलपुर, प.ह.नं.–23/ कृषकों की संख्या 30	1.088 हेक्टे.	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 08–07–2021 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, सरोली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	30
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	–
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी .
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 18 जून 2021

प्ररूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/3963/भू–अर्जन/2021.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	मानपुर	खड़गांव, प.ह.नं.–25/ कृषकों की संख्या 47	1.255 हेक्टे.	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 12–07–2021 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, खड़गांव पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	47
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	–
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी .
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2021

प्ररूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4939/भू–अर्जन/2021.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अं. चौकी	कुम्हली, प.ह.नं.–27/ कृषकों की संख्या 16	0.138 हेक्टे.	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 24–08–2021 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, गोपलीनचुवा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	–
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी .
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2021

प्ररूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/4940/भू–अर्जन/2021.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
राजनांदगांव	अं. चौकी	पण्डरीतराई, प.ह.नं.–27/ कृषकों की संख्या 32	0.188 हेक्टे.	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 26–08–2021 को (समय) प्रातः 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, बागनारा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लो.नि.वि. राजनांदगांव, मुख्यालय दुर्ग के बिहरीकला–दनगढ़–सोमाटोला–गोटाटोला–खड़गांव मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में प्रभावित कृषकों की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	32
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	–
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी .
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/975.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6372 दिनांक 13-02-2015 द्वारा श्री के. आर. भगत, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) खरसिया को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति खरसिया जिला रायगढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला रायगढ का पत्र क्रमांक/टी-10/भा.सा/2021-22/682 दिनांक 05-06-2021 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति खरसिया के भारसाधक अधिकारी श्री के. आर. भगत, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) खरसिया जिला रायगढ़ का स्वर्गवास दिनांक 18-04-2021 को हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री हरीश कुमार राठौर, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), रायगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति खरसिया जिला रायगढ़ के भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री के. आर. भगत, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) खरसिया के स्थान पर श्री हरीश कुमार राठौर, अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), रायगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

शिव अनंत तायल,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

No. 5531/EP 13/2019 Bilaspur, the 10 June, 2021

HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR
(Before Hon'ble Shri Justice Sanjay K. Agrawal)

Election Petition No. : 03/2019

Petitioner : Hira Singh Markam

Versus

Respondent : Mohit Ram Kerketta (Elected Candidate) & Others (Fixed for 05th of July, 2021)

Notice for Publication Under Section 112(2) of the Representation of the People Act, 1951, Read with Rule 311 of the High Court of Chhattisgarh Rules, 2007 In the Official Gazette

The sole Petitioner — Hira Singh Markam, has filed Election Petition No. 03/2019 under Section 80, 80-A, read with section 100 and 100(1) of Representative of Peoples Act 1951, challenging the Election of Shri Mohit Ram Kerketta from the State Legislative Assembly Constituency No. 23, Pali Tanakhar, District Korba (C.G.), the result of which was declared on 11-12-2018.

Said Shri Hira Singh Markam, the sole petitioner, died on 28-10-2020 as per information given by the counsed appearing on behalf of respondent no. 3 on 07-06-2021.

Please take notice that any person(s) who might himself have been a petitioner may, within 14 days of such publication, apply to be substiuted as petitioner and upon compliance with the conditions, if any, as to security, shall be entitiled to be so substituted and to continue the proceedings upon such terms as the High Court may deem fit.

Given under my hand and the seal of the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur on this 10th day of June, 2021.

By order of the High Court
Sd/-
Additional Registrar (Judl.).

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

EP No. 3 of 2019

Hira Singh Markam **Versus** Mohit Ram Kerketta & Ors.

SB
Hon'ble Shri Justice Sanjay K. Agrawal

07.06.2021	Proceedings of this matter have been taken up through video conferencing. Mr. Dheerendra Pandey, counsel for the petitioner. Mr. R.S. Marhas, counsel for respondent No.2. Ms. Renu Kochar, counsel for respondent No.3. Mr. R.S. Marhas, learned counsel, submits that election petitioner has died on 28.10.2020. Since the sole petitioner is dead, let notice be published under Section 112(2) of the Representation of the People Act, 1951 read with Section 311 of the Chhattisgarh High Court Rules, 2007 as provided Notice be published on 15th June, 2021 giving time as required under the law. List the matter on **5th July, 2021** for further orders. **Sd/-** **(Sanjay K. Agrawal)** Judge